भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4797

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

गंभीर रूप से प्रदूषित नदी खंड

4797. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान में कितने गंभीर रूप से प्रदूषित नदी खंड (सीपीआरएस) हैं जहाँ जैविक ऑक्सीजन की मांग (बीओडी) 30 मिलीग्राम/लीटर से अधिक है;

(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में चिन्हित 35 प्रतिशत सीपीआरएस में सफाई के लिए आवंटित धनराशि के बावजूद प्रदूषण की स्थिति बदतर क्यों है;

(ग) हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में ऐसे आयोजनों के दौरान प्रदूषण में वृद्धि और पारिस्थितिक तनाव के बारे में चिंता व्यक्त किए जाने को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान गंगा जल की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत इन खंडों में उद्योगों/प्रदूषकों पर कोई शास्ति लगायी गयी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित 'जल गुणवत्ता की बहाली हेतु प्रदूषित नदी खंड' की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में, 4 प्रदूषित नदी खंडों में बीओडी स्तर 30 मिलीग्राम प्रति लीटर (मिग्र/लि.) से अधिक हो गया है।

सीपीसीबी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर की नदियों में प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई है। एनआरसीपी योजना सहित, विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की संख्या वर्ष 2018 में 351 से घटकर वर्ष 2022 में 311 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 106 पीआरएस को प्रदूषित नदी खंडों की सूची से हटा दिया गया है और वर्ष 2018 की रिपोर्ट की तुलना में 74 प्रदूषित नदी खंडों की जल गुणवत्ता में सुधार पाया गया है।

(ग): सरकार, कुम्भ मेला, अर्ध कुम्भ और माघ मेला जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान गंगा नदी की जल गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के माध्यम से और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से निवारक और उपशमन उपयों की एक श्रृंखला को कार्यान्वित करती है।

इन उपायों में आंशिक वित्तीय सहायता, सीवेज उपचार अवसंरचना का संवर्धन, पर्याप्त अस्थायी स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों (जीपीआई) से निकलने वाले अपशिष्ट का विनियमन और निरंतर जल गुणवत्ता निगरानी शामिल है। प्रयागराज में तीर्थयात्रियों को जागरूक करने हेतु चागरूकता अभियान और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु प्रवर्तन टीमों की तैनाती भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जवाबदेही और कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने हेतु महा कुम्भ 2025 के लिए एक व्यापक स्वच्छता योजना तैयार की है जिसमें सेवा स्तर मानक (एसएलबी), मेले के पश्चात स्वच्छता उपाय और अस्थायी जल निकासी लाइनों की स्थापना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आयोजन के बाद के अनुभवनों के आधार पर , भविष्य के आयोजनों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई और आयोजना सुधारों को लागू किया गया है जिसमें संवर्धित पुनः उपयोग कार्यनीतियां, उन्नत विसंक्रमण प्रोटोकॉल और स्वच्छता अवसंरचना की संरचित पुर्नस्थापना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी द्वारा महा कुम्भ 2025 के दौरान 12 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक पवित्र स्नान (अमृत स्नान) के दिनों में शृंगवेरपुर घाट, लॉर्ड कर्ज़न ब्रिज, नाग वासुकी मंदिर, संगम और दीहा घाट पर पांच स्टेशनों पर (सप्ताह में दो बार) जल गुणवत्ता की निगरानी की गई।

(घ): पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को नदियों और जल निकायों में प्रदूषित जल छोड़ने से पूर्व निर्धारित मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी उद्योगों की निगरानी करते हैं और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

सीपीसीबी के अनुसार, जीपीआई के अंतर्गत कुल 4,538 उद्योग हैं जिनमें से 3,672 उद्योग चालू थे और 866 उद्योग स्वत: बंद हो गए। चालू उद्योगों में, से 3,064 उद्योगों द्वारा पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने की जानकारी प्राप्त हुई है जबकि 571 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और अनुपालन न करने वाले 36 उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, 01 उद्योग पर जुर्माना लगाया गया है।

*****